अनुसूचित जाति युवा वर्ग के परिवर्तित जीवनप्रतिमान व गतिशीलता
(बिहार के रोहतास जिले के विशेष संदर्भ में)

Changing Dynamics and Life-Pattern of Scheduled Caste Youths
(With special reference to Rohtas district of Bihar)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के मानव विज्ञान विभाग में एम.फिल.

उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध

शोध निर्देशक
डॉ. निशीथ राय

शोधार्थी
स्वाती कुमारी

मानव विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
गांधी हिल्स ,वर्धा-442001, महाराष्ट्र.

विषयानुक्रमणिका

प्रमाण पत्र……………………………………………………………………………………..I

विषयानुक्रमणिका…………………………………………………………………...…… II

अध्याय प्रथम – प्रस्तावना तथा पद्धतिशास्त्र ……………………………………...........................01-13

अध्याय द्वितीय – शैक्षिक जीवन …………………………………………………………….14-28

अध्याय तृतीय – सामाजिक जीवन ……………………………………………………..…....29-41

अध्याय चतुर्थ – आर्थिक जीवन ……………………………………………………….……...42-52

अध्याय पंचम – राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन ……………………………………………..53-65

अध्याय षष्ठम – सामाजिक-सांस्कृतिक विचार एवं दृष्टिकोण ………………………………….66-81

निष्कर्ष एवं सुझाव.. 82-93

परिशिष्ट

अनुसूची ………………………………………………………………………………. i-v

सन्दर्भ सूची ……………………………………………………………………….vi-viii

शोध संक्षेपिका

विश्व की समस्त जीवित अथवा मृत सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्थाओं में स्तरीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही हैं। भारतीय समाज भी स्तरीकरण की प्रक्रिया से अछूता नहीं हैं, अपितु यह भी उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित अनेक इकाइयों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित रहा है जिनमें सर्वाधिक प्रमुख उपजातियों में विभक्त रहा है। इस जातीय संस्तरण में निम्नतम स्थान दलितों अथवा अनुसूचित जातियों का है जिन्हें परम्परागत रूप में अन्त्यज्य या अछूत कहा जाता है। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत अस्पृश्य किसी वर्ण के अन्तर्गत नहीं आते थे वरन घृणास्पद पेशों को करने वाले अन्त्यज्य निर्वासित समूहों के रूप में जाने जाते थे। आधुनिक काल में इन अछूतों व अस्पृश्यों की गणना पंचम वर्ण के रूप में की जाती हे। अपवित्र तथा घृणित पेशों को करने के कारण इन्हें अपवित्र व न छुए जाने योग्य समझा जाता था। अत: इनका स्पर्श करना वर्जित एवं पाप था, इनके स्पर्श से अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए अनेक धार्मिक कृत्य करने पड़ते थे।

भारतीय समाज में इन अनुसूचित अथवा दलित जातियों की स्थिति बहुत विचित्र रही है। हिन्दू धर्म एक ओर प्राणी मात्र के लिए स्नेह, दया, त्याग, मानव के बीच उच्चता-निम्नता, भेदभाव एवं अस्पृश्यता की दीवार खड़ी करता है इसी पक्षपात पूर्ण व्यवस्था के कारण अनुसूचित जातियों को हजारों वर्षों से अमानवीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। भविष्य में भी इनके विकास व प्रगति को अवरूद्ध करने की दृष्टि से सम्बन्धित जाति को अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक निर्योग्यताओं में जकड़ लिया गया था। जीवित रहने की समस्त सुविधाओं से वंचित इन अपमानित लोगों को समाज में सम्मानित स्थान देने के लिए गाँधी जी ने सन् 1935 में हरिजनोद्धार के लिए सरकार द्वारा एक सूची तैयार करवायी जिसके आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से हरिजनों को अनुसूचित कहा जाने लगा।

राजाराम मोहन राय (1772-1833) भारतीय इतिहास की वह कड़ी है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है जात-पात तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेन्द्र नाथ टैगोर और केशवचन्द्र सेन ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। एम.जी. रानाडे के नेतृत्व में प्रार्थना समाज (1877) की स्थापना हुई। उसने ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया[1] स्वामी दयानन्द ने 1875 में विदेशी शासन की अधीनता में भी एक राष्ट्रव्यापी संस्था आर्य समाज की स्थापना करके वस्तुत: एक क्रान्तिकारी कार्य किया, जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने प्रयास किए उसी के समान ही स्वामी विवेकानन्द जी ने हिन्दू धर्म सुधार के लिए प्रयत्न किए। यहाँ तक कि उन्होंने अछूतों को 'महाशय' जैसा सम्मानित सम्बोधन दिया। इस क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रयासों को भुलाय नहीं जा सकता, जिन्होंने सर्वप्रथम 'अछूतोद्धारमंडल' की स्थापना की[2]। आधुनिक काल (19वीं शताब्दी) के आन्दोलनों तथा प्रयासों पर पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित होता है। लाला लाजपत राय, जो एक सच्चे देशभक्त, महान नेता व समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने भी देश की इस कमजोर अवस्था को अनुभव किया। उन्होंने कहा कि भारत सच्चे अर्थों में तब एक राष्ट्र नहीं बन

---

[1] डॉ. आर.जी.सिंह, *भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं समाधान*,1986, पृ.-77

[2] ए.एन.भारद्वाज, *अस्पृश्यता एवं मानवता*, 1987, पृ.-9

सकता जब तक कि तथाकथित अछूतों को समाज में उचित स्थान नहीं मिलेगा। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए डॉ. अम्बेडकर, जो स्वयं दलित थे, के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छेड़े गए। गोखले और लोकमान्य तिलक ने भारत सेवक-समाज तथा दलित-वर्ग मिशन की स्थापना कर उल्लेखनीय कार्य किया, जिसने समाज सुधार व सार्वजनिक कल्याण के कार्य आरम्भ किये तथा दलितों को समाज में सम्माननीय स्थान दिलाने के लिए जोरदार आवाज उठायी। उनके इस कार्य में प्रमुख राजनैतिक संस्था 'इण्डियन नेशलन कांग्रेस' ने भी योगदान किया। सन् 1917 में डॉ. ऐनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में एक वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें पारित प्रस्तावानुसार दलितों के सुधार तथा अस्पृश्य उन्मूलन के लिए अनेक अभियान तथा प्रयास शुरू किए गए। इसमें महान समाज सुधारक महात्मा गाँधी ने सक्रिय भाग लिया। इस संस्था ने अनेक उल्लेखनीय कार्यों के साथ हरिजनों के लिए स्कूलों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अछूतों ने स्वयं अपने धार्मिक अधिकार प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ट्रावनकोर में आन्दोलन किया और इसमें सफलता प्राप्त की। हरिजनों में यह जागृति समाज सुधारकों की अथक चेष्टाओं का सुफल कही जा सकती है[3]।

सन् 1918 में माननीय विठ्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता में द्वितीय कांफ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संबन्धित जाति के लिए विशेष स्कूल व छात्रावास खुलवाले का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के समुचित क्रियान्वयन हेतु ए.वी. ठक्कर बप्पा की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग' की स्थापना हुई। श्री ठक्कर के नेतृत्व में चल रही संस्था का नाम आगे चलकर गाँधी जी ने 'सर्वेन्ट्स ऑफ अनटचेवल्स सोसायटी' रख दिया। जो अन्ततः 'हरिजन-सेवक-संघ' के रूप में विख्यात हुई। संघ का लक्ष्य सत्य व अहिंसा के आधार पर क्रान्ति के माध्यम से अछूतों को समान सामाजिक शैक्षिण व आर्थिक अवसर दिलाना था[4]। कुछ समय के अन्तराल में सन् 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में कांग्रेस सदस्यों के लिए दस-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। संक्षेप में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य छुआछूत मिटाने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्य करेगा तथा सामाजिक निर्योग्यताओं के विरूद्ध हरिजनों को हर सम्भव सहायता दी जायेगी। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सन् 1921 में कांग्रेस सैशल ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। इन आन्दोलनों से प्रभावित होकर सन् 1930 में ब्रिटिश सरकार ने हरिजनोत्थान के लिए कतिपय कदम उठाये जैसे- स्कूलों में हरिजनों को शिक्षा की व्यवस्था, नौकरी में विशेष सुविधाएं प्रदान करना आदि। किन्तु ये सभी सुविधाएं नाम मात्र के लिए थीं। हरिजनों की स्थिति सुधारने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने 1930 और 1931 में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जिसमें डॉ. अम्बेडकर की सहमति से 'साम्प्रदायिक पंचाट' 1932 के रूप में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में अछूतों को हिन्दुओं से पृथक मानकर निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई जिसका गाँधी जी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। गाँधी जी ने इसके विरूद्ध पूना में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। इसके फलस्वरूप 26 सितम्बर, 1932 को पूना पैक्ट पास हुआ जिसके अनुसार अछूतों को स्वतंत्र अल्पसंख्यक न मानकर हिन्दुओं का ही अंग स्वीकार किया गया।

पंडित मदनमोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हरिजन-सेवक-संघ परिषद ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि यह परिषद निश्चय करती है कि अब भविष्य में हिन्दू जाति में किसी को जन्म से अस्पृश्य नहीं समझा जायेगा और जिन्हें अब तक अस्पृश्य समझा गया उन्हें अन्य हिन्दुओं की भाँति ही मंदिरों, कुओं, पाठशालाओं, सड़कों

[3] विवरण आधारित, ए.एन. भारद्वाज- पूर्व उद्धृत , पृ. 23-27

[4] ए.एन.भारद्वाज, पूर्व उद्धृत , पृ.-23-27

और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के उपयोग का अधिकार रहेगा। इस संस्था ने प्रचार द्वारा हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश हेतु जनमत तैयार किया और कुटीर उद्योगों के विकास, हरिजनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, स्कूल खोलना, गरीब बच्चों को स्कूल की सामग्री तथा छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था, दलित बस्तियों की सफाई, कुएं खुदवाना आदि कार्य किए जिसके फलस्वरूप मद्रास सरकार ने कानून पास करके अछूतों के लिए दक्षिणभारत के मंदिरों के द्वार खुलवा दिए। इस प्रकार की संस्थाएँ लगभग प्रत्येक प्रदेश में संगठित हुई। जो अखिल भारतीय स्तर पर "भारतीय हरिजन सेवक संघ के समान ही प्रचार तथा कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जी.डी.बिड़ला, रामेश्वरी नेहरू, पी.टी.हार्डी, हृदयनाथ कुँजरू आदि ने हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश हेतु अभूतपूर्व योगदान दिया। स्वतंत्रता से पूर्व किये गये इन प्रयासों व आन्दोलनों ने हरिजनों की दयनीय स्थिति की ओर ब्रिटिश सरकार तथा इनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार ने 1935 में विधान का धारा 309 में एक अनुसूची तैयार करवाई जिनमें दलित कहे जाने वाले समस्त वर्गों को सम्मिलित किया गया। तभी से इन्हें अनुसूचित जाति की संज्ञा प्रदान की गई जिसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 'साइमन आयोग' ने रखा। किन्तु 1935 का यह विधान भी उद्देश्य पूर्ति में असफल रहा। अत: 1936 में जब लोकप्रिय दल कांग्रेस के विभिन्न प्रांतों में मंत्रीमण्डल स्थापित हुए तो इस सरकार ने 1935 में विधान की त्रुटियों को दूर करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ बनाई। इस संदर्भ में मद्रास सरकार ने मालावार- मंदिर-प्रवेश-अधिनियम बनवाकर इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास किया। 1936 व 1940 के मध्य सरकार ने अनुसूचितों के स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, 1936 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी के दो पदों को हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिया, पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती को विशेष व्यवस्था की गई, अनुसूचित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई और सहायता के लिए सहकारी समितियाँ खोली गई।

स्वतंत्रता के पश्चात किये गये शासकीय प्रयासों की चर्चा करने से पूर्व इनके सम्बन्ध में की गई संवैधानिक व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात करना भी परमावश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि विशिष्ट राज्य के प्रमुख की सलाह लेकर आदेश द्वारा यह विज्ञापित करे कि "अमुक जातियों, जनजातियों के भाग या उनके अन्तर्गत समूह संविधान के अभिप्रायों के हेतु उस राज्य के संबन्ध में अनुसूचित जातियाँ मानी जायेगी।" इसी अनुच्छेद के द्वितीय खण्ड में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा विज्ञापित इस सूची में किसी जाति, प्रजाति, जनजाति के भाग या उसके अन्तर्गत समूह को सम्मिलित करने या उससे पृथक करने का कानून पास करे। इस प्रकार अनुसूचित जाति आदेशानुसार अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों की उचित परिभाषा के पश्चात सरकार द्वारा संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा प्रदान की गयी ताकि दलित भी देश के अन्य नागरिकों के समान ही विकास कर सके। स्वतंत्र भारत के संविधान में उनकी अनेक निर्योग्यताओं को दूर करने के सम्बन्ध में नियमों की व्यवस्था की गई-अनुच्छेद 15-(1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा उनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के अथवा (ख) पूर्ण या आंशिक रूप में तालाबो, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी निर्योग्यता, प्रतिबन्ध या शर्त के अधीन न होगा। अनुच्छेद 16 के अर्न्तगत राज्यधानी नौकरीयों या पदों पर नियुक्तिके सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें किसी के आधार

पर किसी नागरिक के लिए राज्यधीन किसी नौकरी या पद के पिषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और इसका किसी न किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया जाता हैं। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य संस्था द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था, में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 38 से राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोककल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अनुप्राणित करें। अनुच्छेद 46 में (क) राज्य जनता के दुर्बल विभागों की, विशेष तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा (ख) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम जो 1 जून 1955 से लागू हुआ- इसकी मुख्य धाराओं में प्रथमत: धारा-3 (अ)- प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार से पूजा, प्रार्थना या दूसरे धार्मिक संस्कार करने में स्वतंत्र होगा (स) प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सम्बन्धी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी लेने की स्वतंत्रता होगी (द) इन नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गयी कोई भी सहायता बन्द की जा सकती है या जमीन छीनी जा सकती है।

धारा-4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को (क) किसी दुकान, जलपान, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने और धर्मशालाओं या मुसाफिरखानों के बर्तनों तथा अन्य चीजों को व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता होगी (ख) किसी भी धर्मशाला, सराय आदि से लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होगा (छ) किसी भी प्रकार के जेवर या अन्य चीजों की पहनने की स्वतन्त्रता होगी। धारा 5 में (अ) प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी चीज बेचने या सेवा करने से इंकार नहीं कर सकता है। धारा 7 में इन कानून के किसी भी नियम को न माननेया अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वालों को दण्ड दिया जायेगा। ये दण्ड 6 माह की कैद या 500 रू. के जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए सरकार 1954 से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 'अस्पृश्यता-अपनाध-अधिनियम 1955' को कठोरता से लागू करने के लिए सराकार द्वारा छोटी-छोटी समितियाँ गठित की गई हैं।जन जागृति के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं विज्ञापन, प्रचार व दृश्य-श्रव्य साधनों की सहायता ली जा रही है तथा जनमत के लिए अस्पृश्यता विरोधी फिल्में बनायी जा रही है तथा पंचवर्षीय योजना में विशेष अनुदान देने व कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था की गई है। सन् 1955 के अधिनियमकी जांच के लिए केन्द्र सरकार ने श्री एल. इत्यापेरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट व सिफारियों के आधार पर राष्ट्रपति ने 13 सितम्बर, 1976 में 'नागरिक अधिकार संरक्षण कानून' की स्वीकृति दी तथा यह कानून श्रीमति इन्दिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवम्बर 1976 में लागू किया गया जो 1955 के 'अस्पृश्यता अपनाध अधिनियम' का ही संशोधित रूप था। जिसके अनुसार अस्पृश्यता अपराध के लिए दण्डितलोग, संसद और विधान सभा के चुनाव में खड़ें नहींहो सकेगें, अस्पृश्यता बरतने वाले, प्रोत्साहन देने वाले, प्रचार करने वाले तथा उसे न्यायाचित ठहराने वाले को अपराधी समझकर दण्ड स्वरूप उसे 500 रू. तक का जुर्माना व एक माह से दो वप्र तक की कैद की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि बिना किसी शिकायत के कारवाई भी की जा सकेगी। राज्य सरकारें अस्पृश्यता से प्रभावित लोगों को पर्याप्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के व्यवस्था करेंगी। इन अपराधों की सुनावाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया लायेगा। संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित

जातियों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में तथा विधान सभा में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकारी नौकरियों में खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में भी स्थान सुरक्षित होते हैं। नौकरियां प्राप्त करने की निर्धारित शर्तों में भी कुछ रियायतें दी जाती है जैसे-आयु सीमा छूट (ब) उपयुक्तता के मापदण्ड की छूट (3) पदों के चयन में यदि अनुपयुक्त न हो। राष्ट्रपतिको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए सन् 1968, 1969,1971, 1973 में क्रमश: तीन समितियां बनाई गयीं हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से स्वैच्छिक संगठन भी इनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।- अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली, ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद,भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, नई दिल्ली, हिन्दी स्वीपर्स संघ, नई दिल्ली, रामहंस मिशन नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगा, सर्वेन्टस ऑफ इण्डियासोसाइटी पूना, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्गसंघ, दिल्ली आदि पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करते हैं।

पंचवर्षीययोजना में अनुसूचित जाति जनजाति के लिऐ विशेष प्रयास किये गये जिनमें हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्गसंघ, भारतीय दलित सेवक संघ तथा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम जैसे स्वयं सेवा संगठनों को सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था थी। प्रथम योजना में 30.40 करोड़ रू., द्वितीय योजना में 79.41 करोड़ रू. तृतीय योजना में 100.40 करोड़ रू. चौथी योजना में 172.70 करोड़ तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में 240.00 करोड़ रू. अस्पृश्यता निवारण व अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए रू. अस्पृश्यता निवारण व अनुसूचित जातियों के कल्याण लिए व्यय किए गए तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1520.48 करोड़ रू. व्यय करने का प्रावधान था। अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती है। उदाहरणार्थ मैट्रिक के पश्चात छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए उदार साधन परीक्षा के अनुसार छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। सन् 1955 से केन्द्रीय सरकार 10 (दस) सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देती है। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्यस्तरीय कार्यक्रम में जो केन्द्रीय सरकार के खण्ड अनुदान पर तथा ऋणों के रूप में सहायता दी जाती है, को तीन समूहों में बांटा जा सकता है- (1) शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत मैट्रिक के पश्चात छात्रवृत्तियां, ट्यूशन तथा परीक्षा शुल्क में छूट, शिक्षा सम्बन्धी सामग्री की व्यवस्था, दोपहर में भोजन की व्यवस्था, आश्रम स्कूलों की स्थापना, स्कूल-भवनों व छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था, बैल कृषि, उपकरण खाद तथा बीज की आपूर्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, संचार व्यवस्था का विकास आदि सम्मिलित हैं स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को चिकित्सा देना, पेयजल की योजनाएं,बने बनाए घर देने तथा राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संथाओं को अनुदान देने की व्यवस्था सम्मिलित है। इसके साथ ही पीने का पानी, सड़क, गली में बिजली, आवास और शिक्षा, विशेष अंशभूत कार्यक्रम के अन्दर प्रदान की जाती है।

ईसा पूर्व (4000-1000 वर्ष पूर्व) से 19वीं सदी के उत्तरायण तक आते-आते तथाकथित शूद्र तथा शूद्र सम्बन्धी उपजातियां या दलित या अनुसूचित जातियाँ अनेक उतार चढ़ाव से जूझती अथवा तीव्र संक्रमण के दौर से गुजरती प्रतीत होती है। पूर्व वैदिक काल में तो इनके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं लेकिन उस समय भी किसी न किसी रूप में थी। किन्तु वैदिक काल में इनकी पहचान शूद्रों के रूप में तथा कालान्तर में प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप शूद्रो की उपजातियां के रूप में होने लगी तथा उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र युग, ब्राह्मण काल में आते-आते ये संकीर्णताओं की असंख्य बेडियों में जकड़ी जाने लगी, बौद्धकाल में इनकी दशा में

कुछ सुधार हुआ किन्तु फिर मुगलकाल में इनकी दशा पतनोन्मुख रही। आधुनिक युग में (19वीं सदी) ये अनुसूचित जातियां विकास व प्रगति की ओर अग्रसारित हो रही है। 1865 से पूर्व से ही अनेक धार्मिक महात्माओं व सन्तों ने तथा समाज-सुधारकों व राष्ट्रीय नेताओं ने अनेक आन्दोलन व प्रयास किए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा स्वयं दलितों ने भी समान रूप से भाग लिया। स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जैसे संविधान में सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्रदान करना, अस्पृश्यता अपराध कानून को लागू करना, अनुसूचित जाति के लोगों को खेती के लिए भूमि प्रदान करना, उन्हें आवासीय सहायता प्रदान करने हेतु आवास निर्माण योजना का कार्यान्वयन, विभिन्न आर्थिक कार्यों हेतु सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करना, संसद एवं विधान मडंलों मेंअनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें प्रवेश शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि सुविधाएं प्रदान करना, रोजगार के लिए आरक्षण नीति अपनाना, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पूर्व-परीक्षा-प्रशिक्षणकेन्द्रों की स्थापना आदि। शासन द्वारा कार्यान्वित नीतियों एवं योजनाओं के साथ-साथ आधुनिकीकरण एवं पाश्चात्यीकरण आदि प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति तीव्रगति से परिवर्तनोन्मुख है।

अध्ययन क्षेत्र एवं इकाइयां:

किसी भी शोध विषय का अध्ययन करने से पहले अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक होता है। शोध क्षेत्र के चुनाव के लिए सरल दैव निर्दशन के लॉटरी विधि का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत पाँच सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से बिहार राज्य का चुनाव किया गया। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं जिनमें रोहतास सर्वाधिक साक्षरता दर (73.37%) वाला जिला है इसलिए रोहतास का चुनाव किया गया। इसके अतिरिक्त इस जिले की 24.6% आबादी अनुसूचित जाति की है। इस जिले में तीन (3) अनुमंडल एवं उन्नीस(19) प्रखण्ड है।

अनुसूचित जातियों के युवाओं के जीवन प्रतिमान में हो रहे परिवर्तन व गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत रोहतास जिले का चयन किया गया। इस प्रकार विस्तृत अध्ययन रोहतास जिले के अंतर्गत आने वाला सासाराम प्रखण्ड के अगरेर ग्राम में निवासित अनुसूचित जाति के युवा वर्ग के जीवन प्रतिमान में हो रहे परिवर्तनों के विश्लेषण के प्रयास पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र का चयन करने में यह तथ्य विशेषतः उल्लेखनीय रहा है कि प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के युवाओं पर कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन सम्पन्न नहीं हुआ है। द्वितीयतः इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के युवा पर्याप्त मात्रा में अध्ययनरत हैं। रोहतास बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या (73.37%) वाला जिला है अतः यहाँ कि अनुसूचित जातियों की साक्षरता भी पर्याप्त है। रोहतास जिले का सासाराम सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या (48554) वाला प्रखण्ड है जिसमें अनुसूचित जाति के 25077 पुरुष व 23477 महिलाएं हैं तथा इस प्रखण्ड में अगरेर सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला ग्राम है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही अगरेर ग्राम का चुनाव किया गया तथा अनुसूचित जाति के युवाओं के परिवर्तित जीवन प्रतिमा नों का विश्लेषण संभव हो पाया।

इस प्रकार रोहतास जिले का सासाराम प्रखण्ड के अगरेर ग्राम में अनुसूचित जातीय युवाओं के जीवन प्रतिमान में हो रहे परिवर्तन एवं गतिशीलता के अध्ययन हेतु इस ग्राम के अनुसूचित जाति के युवक एवं युवती अध्ययन की इकाइयां होंगें।

साहित्य पुनरावलोकन:

किसी भी शोध कार्य का द्वितीय एवं महत्त्वपूर्ण चरण साहित्य पुनरावलोकन होता है और यह चरण शोध कार्य को दिशा प्रदान करता है। इसमें शोध से संबंधित साहित्य कार्यों आदि का अवलोकन किया जाता है। इनमें से निम्न उल्लेखनीय है। डॉ. संजीव महाजन (2010) ने अपनी पुस्तक 'सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन' में भारत के सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक स्थिति का वर्णन प्रस्तुत किया है। डॉ. विष्णु गोपाल एवं डॉ. राजीव नयन (2001) ने अपनी पुस्तक "भारतीय समाज की गत्यात्मकता" में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों का विश्लेषणात्मक प्रारूप प्रस्तुत किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन(1998)[5] अनुसार राजनीतिक स्वाधीनता के प्राप्ति के समय अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में जो विषमताएं पूर्व से ही मौजूद है वे विगत वर्षों में और बढ़ी है। दिन-प्रतिदिन इनकी उत्पीड़न की शिकायतें सुनी जा रही है, जो चिन्तनीय है। इस प्रकार इनका समाज रूग्णावस्था में है। विकास की योजनाओं से इच्छित उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है। गरीबी एवं सामाजिक अध:पतन से पीडित इन जातियों के प्रति एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गेल ओमवेट ने अपनी पुस्तक 'दलित एन्ड डेमोक्रेटिक रिवल्यूशन (1994)' में डा. अम्बेडकर के वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष का वर्णन किया है। रविंद्रनाथ मुकर्जी (1985) ने अपनी पुस्तक "भारत में सामाजिक परिवर्तन" में भारतीय समाज और संस्कृति में हुए विविध परिवर्तनों की प्रक्रियाँ की व्याख्या करते हैं तथा उन करणो पर प्रकाश डालते हैं। डॉ. ओमप्रकाश शर्मा (2014) ने अपनी पुस्तक "ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परिवर्तन" में भारतीय समाज में परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास के आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत किया है किन्तु इन्होनें समाज के कुछ पहलुओं को अपने अध्य यन में नहीं शामिल किया है जिसको इस शोध में शामिल करने का प्रयास किया गया है। प्रत्युष रंजनवाल (1999) ने अपनी पुस्तक "अस्पृश्यता एवं विधिक प्रावधान" में भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्पत्ति एवं संवैधानिक प्रावधान व उनके सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था एवं अंत:क्रिया को दर्शाते हैं। एम. एन. श्रीनिवास (1967) ने अपनी पुस्तक "आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन" में भारतीय समाज में पश्चिमीकरण प्रक्रिया की चर्चा की है तथा इन प्रभावों को संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के संदर्भ में व्याख्यायित किया है।

अध्ययन का महत्व:

स्वतन्त्रताकाल से अब तक के दीर्घ अन्तराल में सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों व संस्थाओं के फलस्वरूप अवदमित कही जाने वाली अनुसूचित जातियों के सदस्यों का जीवन स्तर, एवं दशा प्रगतिशील एवं विकासोन्मुख है। यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि वर्तमान परिवर्ती व प्रगतिशील सामाजिक परिवेश से अनुसूचित जातियों के, विशेषत: युवा पीढ़ी के छात्र-छात्राओं के विचार, प्रतिमान, आदर्श मूल्य तथा दृष्टिकोण अवश्यमेव प्रभावित एवं परिवर्तित हुए होगें। तात्पर्य यह है कि आज अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं अर्थात युवा पीढ़ी के विचारों व जीवन प्रतिमानों में गतिशीलता व परिवर्तनशीलता स्पष्टत: परिलक्षित हो रही है। शासकीय योजनाओं

[5] प्रतिवेदन-आयुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति म. प्र. (1998) भोपाल, भाग-2

के फलस्वरूप उन्हें शिक्षित होने के अवसर प्राप्त हुए हैं, वे सवर्ण एवं सभ्य कहे जाने वाले लोगों से सम्पर्क एवं सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। आज वे अनुभव करने लगे हैं कि वे स्वतन्त्र भारत में उपेक्षित नहीं हैं। आज उनमें अपनी स्थिति एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास हो रहा है तथा राजनैतिक क्षेत्र में आरक्षण से उन्हें अपनी शक्ति का आभास होने लगा है। इन समस्त परिवर्तित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा उनके जीवन प्रतिमान भी बदल रहे हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उनकी सामाजिक स्थिति एवं जीवन प्रतिमानों में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के लगभग पचास-साठ वर्षों के पश्चात भी इन शासकीय योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है? क्या इन योजनाओं से अनुसूचित जातियों के समस्त लोग लाभान्वित हो रहे हैं अथवा कुछ विशिष्ट लोग ही? कहीं ये योजनाएं एवं कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लोगों में परजीविता का विकास तो नहीं कर रहे हैं। क्या ये योजनाएं अनुसूचित जातियों के प्रति सवर्ण जातियों में हृदय परिवर्तन करने में सफल हुई हैं? प्रस्तुत अध्ययन इन समस्त प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा में एक प्रयास है।

शोध प्रश्न: साहित्य पुनर्वलोकन से प्राप्त हुए निष्कर्षों और अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस लघु शोध प्रबंध का शोध प्रश्न है

क्या रोहतास जिले के अनुसूचित युवावर्ग के जीवन-प्रतिमान परिवर्तित हुए हैं?

अध्ययन का उद्देश्य:

सम्प्रति अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कार्यन्वित विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों के छात्र-छात्राओं के जीवन प्रतिमान में हो रहे परिवर्तन का गहन एवं सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन करना ही प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध का प्रधान लक्ष्य है। प्रस्तावित शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है-

1. अध्ययन का प्रथम उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं के परिवर्ती जीवन प्रतिमान के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना है।
2. अनुसूचित जातियों के युवाओं के विवाह , परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, जाति, धर्म और राजनीति आदि के प्रति अर्थात् उनके सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करना।
3. अनुसूचित जाति के युवाओं के विचार एवं दृष्टिकोण आधुनिकता से कहाँ तक प्रभावित हैं।
4. यह देखना है कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए शासन द्वारा कार्यान्वित नीतियों एवं योजनाओं का उनकी स्थिति पर, आशातीत प्रभाव पड़ा है अर्थात इन योजनाओं के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रियाहै।
5. यदि शासकीय योजनाओं का आशानुरूप प्रभाव नहीं पड़ा है तो इसके लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं।
6. अनुसूचित जातियों के छात्र-छात्राओं के विचार से उनके कल्याण की दिशा में और क्या कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं अथवा वर्तमान कार्यक्रमों में क्या-क्या सुधार अपेक्षित हैं।
7. क्या शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों के युवाओं में पराश्रितता का विकास तो नहीं हो रहा है।

शोध प्रविधि:

अनुसंधान हेतु इकाइयों का सही-सही प्रतिचयन अत्यंत कठिन कार्य होता है। समग्र आकार अध्ययन इकाइयों की प्रकृति एवं अनुसंधानों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर समस्त वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन इकाइयों का प्रतिचयन किया जाना अधिक उपादेय माना जाता है। इसके लिए निदर्शन प्रणाली अति उपयुक्त होती है जिसके द्वारा केवल समग्र के एक अंश का निरीक्षण करके सम्पूर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है। इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों प्रविधियों के अपने अपने गुण दोष होते हैं इसलिए इस शोध में त्रिभुजीकरण का सहारा लिया गया। त्रिभुजीकरण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योकि शोधक्षेत्र में विभिन्न पद्धतियों का सम्मिश्रण करके शोधकर्ता द्वारा आकड़ों का संकलन किया जाता है जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार के साथ-साथ समूह साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची के साथ अवलोकन तथा वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है जिससे आँकड़े सरलता से इकठ्ठा किया जा सके।

प्राथमिक स्रोत:

प्राथमिक शोध में गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों प्रविधियों का उपयोग कर त्रिभुजीकरण किया गया। प्राथमिक स्रोत का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योकि शोधक्षेत्र में शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन के माध्यम से आँकड़ों को एकत्रित किया जाता है जिससे शोध अच्छे ढंग से किया जा सके। इस शोध में प्राथमिक स्रोत मेरे द्वारा रोहतास जिले के सासाराम प्रखण्ड के अगरेर ग्राम के अनुसूचित जाति के 100 आवासों से संकलित आँकड़े लिए गए हैं।

गणनात्मक प्रविधि: इस पद्धति में संख्याओं को महत्त्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न तकनीकी का उपयोग होता है।

1.अनुसूची: अनुसूची का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योकि अध्ययन क्षेत्र में शोधकर्ता जब अनुसूची साक्षात्कार करने जाता है तो वहां शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाता पाये जाते हैं। इसलिए पहले से ही अनुसूची का निर्माण कर लिया जाता है जिससे तथ्य इकठ्ठा करने में आसानी होती है।

प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से दत्त संकलन में वैज्ञानिक उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता ली गई। दत्त संकलन की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन प्रमुखतः अनुसूची विधि पर आधारित है। अनुसूची विधि का प्रयोग करते हुए अनुसंधित्सु द्वारा स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों से दत्त संकलन का कार्य सम्पन्न किया गया।

अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक पूर्वगामी अध्ययन का आयोजन किया गया ताकि अनुसूची निर्माण करने की दृष्टि से युवाओं के जीवन के विविध प्रतिमानों एवं विभिन्न पहलुओं तथा उनके द्वारा अनुभूत अनेकानेक समस्याओं एवं प्रत्याशाओं का ज्ञान हो सके। पूर्वगामी अध्ययन के दौरान अध्ययन समस्या के विभिन्न पक्षों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात इन समस्त पक्षों को स्थान देते हुए एक अनुसूची तैयार की गई। यह

मूल अनुसूची 6 भागों में विभक्त थी तथा जिसमें कुल 92 प्रश्न थे। अनुसूची का निर्माण कुछ मुक्त तथा कुछ अमुक्त प्रकृति के प्रश्नों को लेकर किया गया था। अमुक्त प्रकृति के प्रश्नों में से कुछ बहुविकल्पी चयन, कुछ श्रेणीबद्ध, कुछ संरचित तथा कुछ अनुमापक प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं।

परीक्षण करने की दृष्टि से मौलिक अनुसूची का 20 इकाइयों पर पूर्व परीक्षण किया गया। परीक्षण के आधार पर अनुसूची में से कुछ अनावश्यक प्रश्नों को निकाल दिया गया तथा कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की आवश्यकता अनुभव करते हुए सम्मिलित किया गया तथा कुछ प्रश्नों की भाषा एवं प्रकृति में संशोधन किया गया। इस प्रकार परीक्षण करने के उपरांत अनुसूची 6 भागों में विभक्त थी जिसमें 92 प्रश्न सम्मिलित थे।

2. साक्षात्कार: इस शोध में निर्धनता संबंधित सूचकांक जिसके पैमाने निश्चित है तथा आकड़ें संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार का प्रयोग तथा अनुसूचित जाति के नृजाति वृतांत को जानने के लिए असंरचनात्मक साक्षात्कार और समूह साक्षात्कार के साथ-साथ व्यक्तिगत साक्षत्कार का भी उपयोग किया गया जिससे आँकड़े संकलित किया जा सके। इतना ही नहीं, अपितु अनुसूचित जातीय युवाओं के जीवन से संबन्धित विविध तथ्यों, अनुभूतियों, समस्याओं एवं प्रत्याशाओं को उजागर करने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचित जातीय लोगों के विस्तृत साक्षात्कार भी लिए गए।

गुणात्मक शोध: गुणात्मक प्रविधि में गुणों को महत्व दिया जाता है संख्याओं को नहीं। इसमें अध्ययन इकाइयों का वर्णन किया जाता है, अर्थात केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके निम्न बिंदु है।

1. वैयक्तिक अध्ययन: वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग इसलिए किया जाता है की क्षेत्र कार्य पर वहां के मुखिया या सभ्रांत व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र में प्रधानता हो उस व्यक्ति का जीवन वृतांत या वैयक्तिक अध्ययन कर उस परिवार में कैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसकी व्याख्या करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया गया।

2. अवलोकन: अवलोकन सिर्फ घटनाओं को देखना मात्र नहीं है अपितु घटनाओं में बिना कोई परिवर्तन किए परीक्षण करना है। विज्ञान अवलोकन द्वारा असंभव होता है। अवलोकन का प्रयोग इसलिए किया गया कि जो सूचना अनुसूचियाँ असंरचित साक्षात्कार में मिल रही है तथा तथ्यों को परखने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। अनुसूची का प्रयोग करने के साथ ही व्यक्तिगत रूप से अवलोकन की ओर भी इस लघु शोध प्रबंध में सचेत रहा गया।

अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि शोधक्षेत्र में किसी तथ्य का अवलोकन प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी रोक-टोक के क्रियाकलाप संपन्नता वास्तविकता का सटीक ज्ञान होता है।

अर्ध-सहभागी अवलोकन का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि शोधकर्ता शोधक्षेत्र में सामाजिक निषेधों के कारण सहभागी नहीं हो पाता है इस कारण इस प्रविधि का उपयोग किया गया। यह प्रविधि अधिक व्यावहारिक एवं सरल मानी जाती है जिससे शोधकर्ता को आकड़ें संकलित करने में आसानी होती है।

द्वितीयक स्रोत: द्वितीयक के अंतगर्त वे सूचनाएँ व आकड़ें, प्रकाशित व अप्रकाशित पत्र-पत्रिका, रिपोर्ट, सांख्यिकी, पाण्डुलिपि पत्र, डायरी, टेप, विडियो, कैसेट, व इंटरनेट आदि का प्रयोग किया गया जिससे शोध सफल हो सके।

प्रतिदर्श का आकार: प्रतिदर्श के आकार को चयनित करने के लिए सरल दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रतिदर्श इकाइयों का चयन अनेक विधियों से होता है। इस शोध में लॉटरी पद्धति द्वारा चुनाव किया गया है। जिसमें प्रतिदर्श है -

प्रदेश	जिला	प्रखण्ड	गाँव	परिवार
बिहार	रोहतास	सासाराम	अगरेर	100

निदर्शन:

प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र के अगरेर ग्राम में 714 गृह हैं। जिनकी कुल जनसंख्या 3774 है जिनमें 1927 पुरुष तथा 1874 महिलाएं हैं। इस ग्राम के कुल जनसंख्या में1764 अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनमें 885 पुरुष तथा 879 महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति के युवक तथा युवतियों के जीवन प्रतिमान के तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से दोनों का पृथक पृथक निदर्शन करना आवश्यक समझा गया। अतः साक्षरता के आधार पर 100 विभिन्न गृह परिवारों का चयन किया गया। अतः दैव निदर्शन विधि की सहायता से 149 युवकों का चुनाव किया गया। तत्पश्चात युवतियों की संख्या बहुत कम थी अतः निदर्शन में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके, इस दृष्टि से 38 साक्षर युवतियों का भी चयन किया गया। इन इकाइयों के चयन हेतु अनुसूचित जाति के समस्त परिवारों में साक्षरता क्रम में व्यवस्थित करते हुए अध्ययनरत अनुसूचित युवक एवं युवतियों की पृथक पृथक सूची तैयार की गई। तत्पश्चात दैव निदर्शन विधि की नियमित अंकन प्रविधि की सहायता से युवकों के मामले में प्रत्येक तीसरे युवक की और युवतियों के मामले में प्रत्येक दूसरी युवती का चयन करके उसे निदर्शन में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन 149 युवकों तथा 38 युवतियाँ, कुल 187 युवक-युवतियों को निदर्शन में सम्मिलित करते हुए सम्पन्न किया गया है जैसा कि निम्न सारणी 1.1 से स्पष्ट है –

सारिणी संख्या 1.1

न्यादर्श-अभिकल्प

	अनुसूचित जाति (पुरुष)	अनुसूचित जाति (महिला)	योग
अगरेर (ग्राम)	885	879	1764
निदर्शन	149	38	187

लघु शोध प्रबंध संरचना

विवेचनात्मक अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध की उपलब्धियों को निम्न लिखित छह अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम अध्याय, '' प्रस्तावना तथा पद्धतिशास्त्र''

द्वितीय अध्याय, ''शैक्षिक जीवन"

तृतीय अध्याय, ''सामाजिक जीवन''

चतुर्थ अध्याय, ''आर्थिक जीवन''

पंचम अध्याय, ''राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन''

षष्ठम अध्याय, ''सामाजिक-सांस्कृतिक विचार एवं दृष्टिकोण''

निष्कर्ष एवं सुझाव

परिशिष्ट

अनुसूची

सन्दर्भ सूची

निष्कर्ष एवं सुझाव:

समाज अथवा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं व अनिवार्यताओं की सम्पूर्ति के लक्ष्य पर केन्द्रित, समानता के मूल्यों पर आधारित, कर्म पर टिकी, विश्व में सुन्दरतम एवं अनूठी वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जिसमें उच्चता-निम्नता, उत्तमता – अधमता जैसी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, उत्तर वैदिक काल तक आते – आते, विश्व को अचम्भित करने वाली भारतीय संस्कृति की यह विलक्षण व्वस्था जन्म पर आधारित होकर वसुधैव-कुटुम्बकम् जैसे उदार मूल्यों का त्याग करती हुई अपने संकुचित रूप जाति व्यवस्था में परिवर्तित होकर समाज के विघटन की ओर प्रवृत हो गई। वैदिक कालीन चार वर्ण न केवल चार जातियों में परिवर्तित हो गये अपितु अनेक उपजातियों में विभाजित हो गयें, जिसके फलस्वरूप जातीय विभदों, असमानताओं, उच्चता–निम्नता, धार्मिक–अधार्मिक, पवित्रता-अपवित्रता की अभेद्य दीवारें समूह-समूह तथा व्यक्ति – व्यक्ति के बीच खड़ी हो गई। इन्हीं विभेदों, असमानताओं के उत्तरोत्तर विकास के फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों का प्रार्दुभाव हुआ।

भारत में अनुसूचित जातियाँ सुदूर अतीत काल से पराधीनता , परवशता एवं अमानवीय शोषण का शिकार रही हैं। वे अनेकानेक आर्थिक अभावों से ग्रस्त थी, विविध धर्मिक निषेधों का शिकार थी, राजनैतिक

अधिकारों से पूर्णत: वंचित थी तथा सामाजिक दृष्टि से दास के रूप में अमानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थी।

देश के स्वतन्त्रोपरान्त से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों की समाजार्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक स्थिति में सुधार तथा उनके उन्नयन हेतु अनेकानेक शासकीय एवं अशासकीय प्रयास किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर, सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति एवं उनका सांस्कृतिक जीवन प्रभावित हुआ है तथा उनमें विशिष्टत: उनकी युवा पीढ़ी अर्थात उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र – छात्राओं के विचार, जीवन – प्रतिमान, आदर्श, मूल्य तथा दृष्टिकोण भी अवश्यमेव परिवर्तित हुए हैं। उनके जीवन प्रतिमान में हो रहे परिवर्तन व गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अनुभाविक अध्ययन करना ही प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

अनुसूचित जातीय युवाओं की शैक्षिक स्थिति तथा गतिविधियों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि उनके शिक्षा सम्बंधी मूल्यों तथा दृष्टिकोणों में तीव्र एवं विस्म्यकारी परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करने के क्षेत्र में वे इतनी जागरूक हो गयी हैं कि सम्बंधित सूचनादाताओं के माता-पिता स्वयं अशिक्षित होते हुए तथा ऋण लेकर भी अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाने के आंकाक्षी हैं। वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों के परिवारों में शिक्षा ग्रहण करने योग्य अधिकांश (75.23 प्रतिशत) सदस्य शिक्षित अथवा शिक्षारत हैं। सम्बंधित युवाओं की शैक्षिक प्रत्यशाएं और भी अधिक उच्च हैं। 80.04 प्रतिशत सूचनादाता स्नातक तथा परास्नातक और 19.95 प्रतिशत पी-एच0डी0 व अन्य प्रशिक्षणादि प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। उल्लेखनीय है युवतियो की प्रत्याशाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक उच्च हैं। अधिकांशत: वे (69.82 प्रतिशत) परास्नातक तथा पी0एच0डी0 व अन्य प्रशिणादि प्राप्त करने की अभिलाषी हैं। इस सम्बंध में हमारी यह प्राक्कल्पना रही कि ''अनुसूचित जातियों में शिक्षा ग्रहण करने के क्षेत्र में आशानुरूप जागरूकता का विकास हुआ है'' अध्ययन से इस प्रमुख प्राक्कल्पना की पुष्टि हो जाती है।

स्वतन्त्रोपरान्त अनुसूचित जातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए क्रियान्वित योजनाओं व कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप उनके शैक्षिक मूल्य भी परिवर्तित हुए हैं। अधिकांश सूचनादाताओं ने स्नातक व परास्नातक कक्षा में अपने रूचिगत विषयों का चयन किया है। विषयों के चयन में कला विषयों को प्राथमिकता दी हैं परन्तु विज्ञान, वाणिज्य तथा विधि विषयों में भी युवाओं की संख्या पर्याप्त हैं, हाँ युवतियो ने वाणिज्य विषय का चयन नहीं किया है। हर्ष का विषय है कि अनुसूचित जाति की युवतियो ने विधि तथा विज्ञान विषय का चयन कर विज्ञान और कानून के क्षेत्र में भी पर्दापण आरम्भ कर दिया है।

हाईस्कूल से स्नातक तक की कक्षाओं में सूचनादाताओं द्वारा अर्जित श्रेणियों में द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वालों की संख्या सर्वाधिक है। अतएव अनुसूचित जाति के युवाओं का बौद्धिक स्तर सामान्य है। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले सूचनादाओं में युवतियों की संख्या अधिक है सामान्य बौद्धिक स्तर होने के कारण अधिकांश युवकों का महाविद्यालयों में प्रवेश आरक्षित श्रेणी में हुआ है जबकि युवतियों ने अपेक्षाकृत उच्च बौद्धिक स्तर होने के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश प्राप्त किया है।

विद्यार्थी जीवन में राजनैतिक सक्रियता के सम्बंध में युवकों ने सहमति देकर आधुनिक विचारों का परिचय दिया है किन्तु युवतियाँ चरित्र व अध्ययन की दृष्टि से युवकों की राजनैतिक सक्रियता को समय की बरबादी समझती हैं। महाविद्यालयों में उपलब्ध करायी जाने वाली समस्त सुविधाओं तथा व्यवस्था के प्रति अधिकांश युवाओं ने संतोष अभिव्यक्त किया है। अध्यापकों का व्यवहार सूचनादाताओं के प्रति समतावादी हैं।

विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की बदलती हुई सामाजार्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्राक्कल्पना निर्मित की गयी थी कि ''सहशिक्षा के सम्बंध में अनुसूचित जातियों के विचार प्रगतिशील की ओर उन्मुख हैं'' प्रस्तुत अध्याय में इस प्राक्कल्पना की सम्पुष्टि हुई है क्योंकि अधिकांश (84.45 प्रतिशत) युवाओं ने सहशिक्षा का समर्थन किया है। सहशिक्षा के समान ही प्रौढ़शिक्षा व स्त्री–शिक्षा के सम्बंध में भी युवाओं के विचार आधुनिक हैं। उनकी वैचारिक प्रगतिशीलता के संदर्भ में स्त्री–शिक्षा के सम्बंध में अनुसूचित जातियों के विचार आधुनिक हैं। अध्ययन के अर्न्तगत अधिकांश सूचनादाताओं ने युवतियों को स्नातक व परास्नातक स्तर तक शिक्षित करने की सहमति प्रकट की है। युवतियों के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य माना है तथा युवितयों की स्नातक, परास्नातक व उससे भी अधिक उच्च – शिक्षा की प्रत्याशा की है। युवाओं के प्रत्युत्तरों से स्त्री –शिक्षा से सम्बंधित उपकल्पना की पुष्टि होती है।

अधिकांश सूचनादाताओं ने वर्तमान शिक्षा पद्धति को अव्यवहारिकता तथा अव्यवसायिकता से आरोपित करते हुए अनुसूचित जातियों में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से क्रियान्वित छात्रवृत्ति तथा प्रवेश सम्बंधी योजनाओं से संतोष अभिव्यक्ता कियाहैं परन्तु उनके नगरों तथा नगरों के आस-पास व्यवसायिक –शिक्षा – केन्द्रों के अभाव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए असंतोष प्रकट किया हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुभूत समस्याओं के अर्न्तगत यातायात साधनों में अव्यवस्था, अस्पृश्यता का व्यवहार , छात्रवृत्ति की अपर्याप्त धनराशि तथा उसका नियात समय पर न मिलना, बिजली की अव्यवस्था, तथा छात्रोवासों के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार अनुसूचित जातीय युवाओं के विचार शिक्षा के क्षेत्र मे आशवादी , प्रगतिशील तथा आधुनिकता से प्रभावित हैं। शिक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जातियों का भूतकाल अवश्य दुर्भाग्यपूर्ण रहा हैं किन्तु वर्तमान आशाजनक और भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है।

अनुसूचित जातीय युवाओं के सामाजिक जीवन के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की अधिकांश युवाएँ संयुक्त परिवार से सम्बद्ध हैं तथा परिवार की संयुक्त प्रकृति के पक्षधर है। विवाह तथा परिवार के सम्बंध में अनुसूचित जाति के युवाओं के रूढ़िग्रस्त हैं। अधिकांश ने परिवार की संयुक्त प्रकृति तथा विवाह की सनातनी पद्धति को उपयुक्त समझा है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश युवतियाँ एकाकी परिवार की पक्षधर हैं यद्यपि वे भी युवकों के समान ही अधिकांशत: संयुक्त परिवारों की सदस्या हैं। वे विवाह को एक सामाजिक समझौता मानती हैं जबकि युवक विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति के पक्षपाती हैं। परिवर्ती आधुनिक सामाजिक परिवेश में अनुसूचित जातियों के, विशिष्टत: शिक्षित युवा पीढ़ी के सामाजिक आचार, विचार, आर्दश प्रतिमान तथा मूल्य भी परिवर्तन के प्रक्रम से अछूते नहीं रहे होगें। विवाह की अवधारणा के प्रति अनुसूचित जाति के युवाओं के विचारों से इस प्राक्कल्प ना का खण्डन हो जाता हैं क्योंकि अधिकांश युवाओं के विवाह की अवधारणा व पद्धति के सम्बंध में संकुचित तथा परम्परावादी विचार है। जातीय संदर्भ में विचार करने पर ज्ञात होता हैं कि सम्बंधित युवाओं के विचार अत्यन्त रूढ़िवादी हैं अधिकांश सूचनादाता अपनी अनुसूचित

जाति के बाहर ही नहीं अपितु मात्र अपनी उपजाति के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित उपजाति में भी विवाह करना पसंद नही करते हैं तथा अपनी जाति के पृथक सवर्ण हिन्दू जातियों में विवाह करने के पक्ष में किसी युवा ने सहमति प्रकट नहीं की है। जीवन-साथी के चयन में वे आर्थिक स्थिति, सौन्दर्य, तथा दहेज की अपेक्षा उसकी शिक्षा, आन्तरिक गुण व खानदान को अधिक प्राथमिकता देंगे। विवाह सम्बंधी परम्पराओं तथा अनुलोम विवाह प्रथा से अनुसूचित जाति की युवा पीढ़ी भी अप्रभावित नहीं रही हैं क्योंकि अधिकांश छात्रों ने अपनी जाति से उच्च तथा उच्च शिक्षित वधु की अभिलाषा नहीं की है, दूसरी ओर युवतियो ने भी अपने से उच्च जाति तथा उच्च शिक्षित वर की प्रत्याशा की हैं। दृष्टव्य है कि युवतियों की अपेक्षा अधिक युवकों ने समान शिक्षित वधु की अभिलाषा प्रकट की है। इस प्रकार के विचार युवकों के युवतियों के प्रति समतावादी व्यवहार का परिचायक है। जबकि युवतियां इस क्षेत्र में संस्कारात्मक प्रकृति से प्रभावित दिखायी देती है। उल्लेखनीय है कि यहाँ विवाह की पद्धति, अवधारणा, जीवन – साथी की जाति के सदर्भ में संकीर्ण विचारों को अपने जीवन में अपनाते हुए भी अर्न्तजातीय विवाह तथा प्रेम विवाह को विपुलांश युवाओं ने उपयुक्त माना हैं।

अधिकांश सूचनादाता मित्र-व्यवहार में उदार हैं क्योंकि अधिकांश युवाएँ मित्रों का चयन करते समय जाति, धर्म के स्थान पर उनके चरित्र और व्यक्तित्व को प्राथमिकता देते हैं। दृष्टव्य है कि सूचनादाताओं के अधिकांश मित्र सवर्ण हिन्दू हैं तथा उनके मैत्री सम्बंध भी प्रगाढ़ हैं, साथ ही वे अपने सवर्ण हिन्दू मित्रों के घर, उत्सवों तथा भोज पर भी आमंत्रित किए जाते हैं। विवाह सम्बंधी में तो अनुसूचित जाति की वर्तमान युवापीढ़ी अत्यन्त ही संकुचित हैं। युवा पीढ़ी ने अपने उपजाति के पृथक अन्य उपजाति में भी विवाह करना स्वीकार नहीं किया है अत: स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियां भी परस्पर अस्पृश्यता के रोग से पीड़ित हैं जबकि सवर्ण हिन्दू मित्रों ने सूचनादाताओं के साथ मैत्री सम्बंध स्थापित कर प्रामणित किया है कि उनके विचार परिवर्तनोन्मुख तथा अस्पृश्यता विरोधी है। अतएव सवर्ण हिन्दूओं की युवापीढ़ी में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के संदर्भ में विचार करते हुए इस प्राक्कल्पना कि पुष्टि की गयी कि अनुसूचित जातियों के प्रति सवर्णो में समतावादी व्यवहार का विकास हुआ है।

खेद का विषय है कि सवर्णों के साथ मैत्री सम्बंध प्रगाढ़ होते हुए भी हीन प्रवृत्ति के ग्रसित होने के कारण अपने सवर्ण मित्रों के साथ अधिकांश सूचनादाता स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं। सम्भवत: वे अभी भी अपने विचारों तथा रहन-सहन को समय की मांग के अनुसार परिवर्तित नहीं कर पाए । परन्तु पर्याप्त मात्रा में सूचनादाताओं का उपेक्षित अनुभव न करना भविष्य में असमानता के मूल्यों पर आधारित समाज की आशा प्रदान करता है। मित्रता सम्बंध में युवक-युवकों के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि युवतियों के भी अधिकांश मित्र सवर्ण हैं परन्तु सवर्णो के साथ मित्रता में युवकों की अपेक्षाकृत युवतियों में घनिष्ठता व प्रगाढ़ता कम दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि युवकों की अपेक्षा में युवतियों के सवर्ण मित्रों के साथ खान-पान तथा उत्सवों में निमन्त्रणादि के सम्बंध कम हैं। इसका कारण संभवतः उनके माता- पिता की संकुचित प्रवृत्ति रही है क्योंकि अधिकांश अनुसूचित जाति के माता – पिता अथवा बुजुर्ग लड़कियों के अधिक घूमने के पक्ष में नहीं हैं।

समूह-संचार के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन हिन्दी भाषा के समाचार पत्र रहे हैं जिनका प्रयोग सूचनादाता सर्वाधिक करते हैं। रेडियों तथा चलचित्र समूह-संचार के द्वितीय तथा तृतीय साधन रहे हैं। आरक्षण सम्बंधी जानकारी के श्रोत के रूप में प्रथमत: समाचार-पत्र, पत्रिकाएं तथा द्वितीयत: रेडियों तथा दूरदर्शन का स्थान

है। तत्पश्चात कतिपय सूचनादाताओं को मित्रों के द्वारा तथा रिश्तेदार द्वारा आरक्षण सम्बंधी जानकारी प्राप्त हुई है। इस सम्बंध में तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आरक्षण संबंधी स्रोत के सम्बंध में युवक-युवतियों की प्रतिक्रियाएं समान ही हैं तथा समूह संचार साधनों – रेडियों तथा समाचार – पत्र के संबंध में युवाओं के विचार समानुरूप ही हैं। युवतियां चलचित्र अपेक्षाकृत कम देखती हैं। जबकि शत प्रतिशत युवकों में चलचित्र देखने की प्रवृति पायी गयी हैं।

अनुसूचित जातीय युवाओं के समाजिक जीवन से संबंधित समस्त तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष ज्ञापित किया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों का सामाजिक जीवन प्राचीन तथा आधुनिक विचारों का संगम प्रतीत होता है। यद्यपि अनुसूचित युवापीढ़ी आधुनिकता की ओर उन्मु ख तो है परन्तु सामयिक समाज की गतिशीलता के परिप्रेक्ष्य में उनकी गति को आशानुरूप नहीं किया जा सकता।

अनुसूचित जातीय युवाओं के आर्थिक जीवन पर दृष्टिपात कर ने से ज्ञात होता है कि युवाओं के माता-पिता की औसत मासिक 817.51रू0 हैं तथा परिवार में औसत सदस्य संख्या 10.06 हैं जो उनकी असंतोषजनक आर्थिकि स्थिति का परिचायक है। स्वतन्त्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेकानेक शासकीय प्रयास किए गए हैं। अतएव इन प्रयासों के फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति पर न्यूनाधिक प्रभाव अवश्यमेव पड़ा होगा। अत: उनकी आर्थिक स्थिति के संदर्भ मे यह प्राक्कल्पना थी ''शासकीय प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई हैं '' किन्तु प्रस्तुत तथ्यों से यह प्राक्कल्पना सत्य प्रमाणित नहीं हो सकी हैं। सम्बंधित अध्ययन के सूचनादाताओं की व्यवसायिक स्थिति पर विचार करने से यह तथ्य प्रकाश में आता हैं कि अधिकांश युवाओं के माता-पिता कृषि अथवा मजदूरी करते हैं। कृषि व्यवसाय करने वाले 36.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के माता-पिता में से अधिकांश (80.53 प्रतिशत) के पास पैतृक भूमि हैं तथा शेष को सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गयी हैं। कृषि करने वालों के पास कृषि योग्य भूमि की माध्य मात्रा 12.5 बीघा हैं जो उनके भरण-पोषण की पुष्टि से अपर्याप्त हैं क्योंकि सूचनादाताओं के परिवारों में औसत सदस्य संख्या 10.06 है। उल्लेखनीय है कि युवतियों के माता – पिता की आर्थिक स्थिति उच्च तो नहीं कही जा सकती परन्तु युवकों की तुलना में कुछ उच्च अवश्य है। यद्यपि युवकों के अधिकांश माता – पिता (40.24 प्रतिशत) कृषि करते है, उनकी मासिक आय का मध्यमान 777.86 रू0 हैं । युवतियों के अधिकांश माता- पिता (48.86प्रतिशत) नौकरी व्यापारादि करते हैं तथा मासिक औसत आय 1142.04 रू0 हैं और सदस्य संख्या माध्य 8.35 है। युवकों के परिवार में रहने वाले सदस्यों की औसत संख्या 10.53 है।

सूचनादाताओं के पास भौतिक सुख-सूविधा के साधनों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि मात्र 45.24 प्रतिशत सूचनादाताओं के पास दूरदर्शन एवं टेपरिकार्ड हैं, कूलर और फ्रिज रखने वालों की संख्या और भी कम हैं, आज के परिवेश में बहुत ही सामान्य वस्तु रेडियों भी मात्र 47.57 प्रतिशत सूचनादाताओं के पास हैं। उनके रहन-सहन की दशाओं के संदर्भ में देखा गया हैं कि अधिकांश (70.79 प्रतिशत) सूचनादाताओं के घरों में दो या तीन कमरे हैं। जो उनके विचार से (68.36 प्रतिशत) सदस्य संख्या के अनुपात में अपर्याप्त हैं। 31.63 प्रतिशत के मकानों में आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं, मात्र 35.03 प्रतिशत मकानों में प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था हैं अर्थात अधिकांश को प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल के लैम्प का सहारा लेना पड़ता है। पीने के पानी के लिए अधिकांश (67.88 प्रतिशत) के घरों में हैण्डपम्प हैं, 21.89 प्रतिशत को कुओं से पानी लेना पड़ता है तथा

मात्र 10.21 प्रतिशत के घरों में टंकी की व्यवस्था है। अतएव अनुसूचित जातीय परिवारों की रहन-सहन की दशाएं आज भी अस्वास्थ्यकर तथा असुविधाजनक है। उनकी ऋणग्रस्तता पर विचार करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश (66.93 प्रतिशत) सूचनादाता ऋणग्रस्तता की स्थिति से मुक्त हैं, ऋण लेने वालों में से अधिकांश के ऋण लेने का कारण बीमारी एवं बच्चों की शिक्षा का रहा है। 56.42 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार साहूँकारों, मित्रों अथवा रिश्तेदारों से ऋण लेते हैं। बैंक से ऋण लेने वालों की संख्या अति अल्प है, जिसका कारण उन्होंने बैंको में परिव्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था बताया है। अनुसूचित जातीय युवाओं की व्यवसायिक प्रत्याशाओं से स्पष्ट होता हैं कि उनमें अपने परम्परागत पैत्रक व्यवसाय के प्रति अभिरूचि बहुत कम है, अधिकांश ने आरक्षित व्यवसायों को अपनाने की अभिलाषा प्रकट की है किन्तु साथ ही अन्य व्यवसायियों को अपनाने वालों की संख्या भी पर्याप्त हैं। अवलोकनीय है कि युवतियाँ व्यवसाय की इच्छुक नहीं हैं। अनुसूचित जातियों की मासिक आय, व्यवसाय, भूमि स्वामित्व, भौतिक सुख-सुविधा के साधनों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति व रहन-सहन की दशाएं असंतोषजनक व अभावग्रस्तहैं। शासकीय प्रयासों से अतीत की तुलना में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ है परन्तु आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूचित जाति के युवाओं की राजनैतिक , धार्मिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि तथा विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं के परिवारिक सदस्यों की राजनीति में विशेष भूमिका नहीं रही है तथापि युवापीढ़ी अर्थात अध्ययन के सूचनादाताओं की राजनीति में अभिरूचि दृष्टव्य हैं साथ ही वे वर्तमान राजनैतिक गतिविधियों के सम्बंध में भी जागरूक हैं। राजनीति में युवतियों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ हैं क्योंकि अधिकांश युवतियां राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती किन्तु उनकी राजनीति में अभिरूचि प्रशंसनीय है क्योंकि वे युवकों से अधिक राजनैतिक गतिविधियों की जानकारी रखती हैं। उनकी इस उपलब्धि की पृष्ठभूमि में उनके परिवार के सदस्यों की राजनीति में अपेक्षाकृत अच्छी भूमिका रही है। राजनैतिक दलों की सदस्यता के सम्बंध में यह देखा गया कि अधिकांश सूचनादाता सत्तारूढ़ दल के सदस्य नहीं हैं साथ ही वे वर्तमान सरकार से भी असंतुष्ट हैं। अतएव राजनीति के क्षेत्र में अध्येता द्वारा संकल्पित प्राक्कल्पना ''अनुसूचित जाति के युवाओं में राजनैतिक जागरूकता में अभिवृद्धि हुई है'' की पूर्णत: सम्पुष्टि होती है। अधिकांश सूचनादाता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को समस्त शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ व अधिक उपयुक्त समझते हैं। महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता एवं भागीदारी को अधिकांश सूचनादाताओं ने समर्थन दिया है। इस सम्बंध में युवतियों की संख्या युवकों से अधिक है। मतदान के सम्बंध में सर्वाधिक सूचनादाता अपने अमूल्य मत का प्रयोग प्रत्याशी के वैयक्तिक गुणों के आधार पर करना पसंद करते हैं।

सूचनादाताओं के धर्म तथा नीति सम्बंधी विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं के धार्मिक तथा नैतिक विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्राचीन समय में जहाँ उन्हें धार्मिक वेदमन्त्रों को सुनने का निषेध था वहाँ आज वे स्वयं पूजापाठ करते हैं तथा उनके परिवार में धार्मिक क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का सम्पादन किया जाता है तथा वे धार्मिक क्रियाओं व अनुष्ठानों को मनाना उपयुक्त समझते हैं। अत: इन तथ्यों से भी अध्ययन की यह प्राक्कल्पना सिद्ध होती है कि ''धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उनके विचार आज भी रूढ्विवादी व परम्परान्मुख हैं'' अर्थात आज भी वे धार्मिक कर्मकाण्डों व अनुष्ठानों को मानने के पक्षधर हैं। परन्तु वे धार्मिक रूप से संकीर्ण तथा कट्टर नहीं हैं साथ ही वे धर्म परिवर्तन को बुरा नहीं समझते। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार के रूप में वे कर्म तथा धन को अधिक महत्व देते हैं। निष्कर्षत: अधिकांश सूचनादाता धर्म तथा धार्मिक

क्रियाओं का अनुसरण करते हैं परन्तु धर्मान्ध तथा अन्धविश्वासी नहीं हैं। किन्तु युवतियों की प्रवृत्ति धर्म के क्षेत्र में कुछ रूढ़िवादी प्रतीत होती हैं क्योंकि वे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का आधार धर्म तथा कर्म को मानते हैं। यदि उदार दृष्टि से देखा जाय तो युवतियों के विचारों में रचनात्मकता तथा आध्यात्मिक का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि वे धर्मान्ध नहीं हैं क्योंकि वे भी युवकों के समान ही धार्मिक कट्टरता का विरोध तथा धर्म परिवर्तन को स्वीकार करते हैं।

अधिकांश सूचनादाताओं के विचारों पर स्त्रियों के सम्बंध में आधुनिकता की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है क्योंकि अनुसूचित जातियों की युवापीढ़ी महिलाओं की कुशलता एवं योग्यता में पूर्ण विश्वास रखती है। अधिकांश सूचनादाता इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि पुरूषों के समान स्त्रियाँ भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकती हैं तथा परिवार के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में उनका परामर्श लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पति-पत्नी के समानतावादी सम्बंधी का समर्थन किया है। अतएव स्पष्ट है कि सम्प्रति अनुसूचित जातियां क्रियाकलापों में ही नहीं प्रत्युत राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक विचारों तथा मूल्यों में भी समय की मांग के अनुसार परिर्वतन करने की दिशा में अभिमुखीकृत हैं।

अनुसूचित जाति के युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने दहेज विरोधी विचार अभिव्यक्त किए हैं किन्तु दहेज लेने के इच्छुक माता-पिता का विरोध करने का साहस मात्र 36.59 प्रतिशत युवाओं ने किया है। परिवार में आज भी पारिवारिक सत्ता पुरूष मुखिया के हाथ में है। परिवार में वृद्धों की स्थिति सम्माननीय है तथा महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों में उनकी राय अवश्य ली जाती है।

विवाह की आयु के सम्बंध में भी सूचनादाताओं के विचार आधुनिकता से अवश्य प्रभावित हुए होंगे, ऐसा जानकर एक प्राक्कल्पना यह भी निर्मित की गयी कि '' विवाह के समय युवक – युवती की आयु के सम्बंध में उनके विचार आधुनिकता से उम्मेषित हैं '' इस प्राक्कल्पना की प्रस्तुत तथ्यों से पुष्टि होती हैं क्योंकि सूचनादाता बाल-विवाह के विरोधी हैं। युवक सूचनादाताओं ने विवाह के समय वर की माध्य आयु 21.99 वर्ष तथा वधू की माध्य आयु 18.80 वर्ष उपयुक्त स्वीकार की हैं। इसी प्रकार युवतियों ने वर की प्रत्याशित आयु 21.60 वर्ष तथा वधू की आयु 18.73 वर्ष अभिव्यक्त की है।

परिवार में विवाह के संदर्भ में युवतियों की स्थिति परम्परागत ही है क्योंकि उनके परिवारों में युवतियों के विवाह में माता – पिता की राय को प्राथमिकता दी जाती है मात्र 4.86 प्रतिशत परिवारों में युवतियों की इच्छा को महत्व दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की एक ज्वलन्त समस्या है जिसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दूरदर्शन, रेडियों तथा समाचार – पत्र एवं पत्रिकाएं सतत प्रयत्नरत है जिसके प्रभाव से अनुसूचित जातियों की शिक्षित युवा-पीढ़ी अछूती नहीं रही होगी। इसी उद्देश्य से एक प्राक्कल्पना यह निर्मित की गयी थी कि '' प्रत्याशित संतानों के सम्बंध में युवाओं के विचार आधुनिकोन्मुख है। '' यह देखा गया कि प्रत्याशित भावी संतानों के सम्बंध में सूचनादाताओं के विचार परिपक्व हैं। सूचनादाताओं द्वारा प्रत्याशित संतानों की संख्या दो अथवा तीन हैं तथा माध्य संख्या 2.41 है। युवाओं के विचारों से प्रस्तुत प्राक्कल्पना की पुष्टि होती है।

शिक्षा प्रसार, पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव एवं परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में एक प्राक्कल्पना यह निर्मित की गयी थी कि ''विवाह विच्छेद के प्रति उनके विचार आधुनिकता से प्रभावित हैं। '' इस प्राक्कल्पना का प्रस्तुत तथ्यों से खंडन हो जाता हैं क्योंकि अधिकांशत: युवाओं ने विवाह विच्छेद को अधार्मिक तथा अनैतिक मानकर विवाह-विच्छेद न करने का परामर्श दिया है। उनका तर्क है कि इससे दो परिवारों का विघटन तथा भावी पीढ़ी का भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। उल्लेखनीय हैं कि परित्यक्ता अथवा विधवा पुर्नविवाह का अधिकांश सूचनादाताओं ने समर्थन किया है। युवक-युवतियों के पारस्परिक मेल-जोल को भी अधिकांश सूचनादाताओं ने उचित माना है।

जीवन में नवीनता तथा परिवर्तन लाने की दृष्टि से युवाओं ने फैशन के अनुकूल चलने को विवेकपूर्ण माना है ताकि वे समय की गति के अनुरूप अपने जीवन की गति को समायोजित कर सकें। युवकों की तुलना में युवतियों फैशन के अनुरूप चलने के प्रति अधिक अभिमुखीकृत देखी गई। प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति में शोषित होने के बाद भी अनुसूचित जातीय युवाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम परिलक्षित होता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने पाश्चात्य वेशभूषा को उच्च कोटि का नहीं माना है अपितु अपने खान-पान तथा वेशभूषा में पश्चिमीकरण प्रकट होने का कारण उन्होंने मात्र फैशन बताया है अर्थात फैशन के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति के कारण विवशत: उन्हें पाश्चात्य वेशभूषा अपनानी पड़ती है।

सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था शासकीय योजनाओं को समाप्त करने के सम्बंध में सूचनादाताओं के विचार उनके आत्म-विश्वास तथा स्वावलम्बन के अभाव को प्रदर्शित करते है। शासकीय योजनाओं की समाप्ति का विरोध करते हुए अधिसंख्यक सूचनादाताओं ने यह तर्क दिया हैं कि इससे सवर्णो के द्वारा अनुसूचितों के शोषण में वृद्धि हो जायेगी। जातिवाद के विरूद्ध शासकीय प्रयासों की अधिकांश सूचनादाताओं ने, उन्हें पर्याप्त समझते हुए, सराहना की हैं,मात्र 24.81 प्रतिशत युवाओं ने शासकीय प्रयासों के क्रियान्वन में अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता तथा कट्टरता की मांग की है।

संस्कृतीकरण के सम्बंध में विचार करने से स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवाओं ने उसका विरोध किया हैं परन्तु 48.17 प्रतिशत सूचनादाताओं ने संस्कृतीकरण का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि समय की मांग हो तो अपनी जाति अथवा वर्ग की सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी उच्च जाति अथवा वर्ग के आदर्श, प्रथा और संस्कारों, को अपनाने में कोई बुराई नहीं है।

खेद का विषय है कि आज भी अनुसूचित जातियां स्वयं के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार अनुभव करती हैं। अधिकांश सूचनादाताओं की अभिव्यक्ति है कि कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर सवर्ण लोग अनुसूचित जातियों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। आर्थिक समानता व धार्मिक निरपेक्षता के सम्बंध में अनुसूचित जातियों के युवाओं के विचार आधुनिकता से प्रभावित हैं। क्योंकि अधिकांश युवाएँ समस्त धर्मों को समान रूप से महत्व देना चाहते हैं तथा निर्धन तथा धनी का मध्यान्तर समाप्त कर धन का समान वितरण करने की अभिलाषा रखते हैं।

अनुसूचित जातीय युवाओं के दहेज , विवाह के समय वर – वधू की आयु, प्रत्याशित संतानों, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं के पुर्नविवाह, युवक – युवतियों के पारस्परिक मेलजोल, फैशन, जाति पंचायतें की उपयुक्तता,

अस्पृश्यता एवं लौकिकीकरण के सम्बंध में विचार आधुनिकता की ओर उन्मेषित हैं किन्तु वैवाहिक निर्णय में युवतियों की राय, विवाह-विच्छेद, माता-पिता एवं संतान के बीच संबंध तथा अस्पृय जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध, आरक्षण नीति आदि के सम्बंध में उनके विचारों पर परम्परावाद की छाप स्पष्टत: परिलक्षित होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनके विचार सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिकता की ओर तीव्रता से अग्रसरित हैं।

शासकीय योजनाओं, उनके सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षिक एवं आर्थिक जीवन के विकास का आधार कही जा सकती हैं, की सफलता के लिए आवश्यक है कि स्वयं अनुसूचित जातियों को भी इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का ज्ञान हो। तथ्य स्पष्ट करते हैं कि अनुसूचित जाति के सूचनादाता हरिजन-कल्याण सम्बंधी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं तथा योजनओं के सम्बंध में जागरूक हैं। अधिकांश युवाएँ प्रवेश, छात्रवृति सुविधाओं, ऋण सम्बंधी तथा अन्य आर्थिक योजनाओं से स्पष्ट है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था से यद्यपि अधिकांश सूचनादाताओं ने संतोष अभिव्यक्त किया हैं किन्तु इसके प्रतिकूल राय प्रकट करने वालों की संख्या भी अपर्याप्त नहीं हैं। दृष्टव्य है कि सरकार द्वारा क्रियान्वित भूमिदान योजना, आवासीय तथा छात्रावास सुविधा के सम्बंध में सूचनादाता संतुष्ट नहीं है। वे व्यक्तिगत व्यवसायों में भी आरक्षण के इच्छुक हैं। अनुभव होता है कि उनमें प्रत्येक क्षेत्र में सरकार पर आश्रितता की प्रवृति में वृद्धि हो रही है।

सम्बंधित युवाओं के अनुसार शासकीय योजनाएं लक्ष्य पूर्ति में सफल हो रही है। फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर से सुधार तथा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के प्रभाव से सवर्णो के व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ है। अतएव यह प्राक्कल्पना सत्य प्रमाणित होती है कि ''अनुसूचित जातियों के प्रति सवर्णो में समतावादी व्यवहार का विकास हुआ।'' क्योकि अधिकांश युवाओं ने स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु शासकीय योजनाओं व नीतियों से सवर्ण जातियों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

स्वतन्त्रता के पश्चात सरकार ने तीव्रता से अनुसूचित जाति के विकासोत्थान के लिए अनेकानेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं, जिसके परिणाम आशाजनक नहीं रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शासकीय योजनाओं का समस्त लाभांश सम्भवत: अनुसूचित जातीय सदस्यों को नहीं मिल रहा है।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। भारतीय समाज भी परिवर्तन के तीव्र प्रभावों से अछुता नहीं रहा है, भौतिक संस्कृति के क्षेत्र में तो भारतीय समाज में अभूतपूर्ण बदलाव देखा जा सकता हैं, दूसरे शब्दों में विकास और प्रगति की दिशा में तीव्रता से अग्रसारित हैं, जिसे आधुनिकीकरण कहा जा सकता है। भौतिक संस्कृति में हुए आधुनिकीकरण से भारतीय समाज भी अभौतिक रहे हो यह पूर्णतया असम्भव हैं अपितु पुरातन रूढ़ियों प्रथा एवं परम्पराएं, जो भी समाज की प्रगति एवं कल्याण में बाधक सिद्ध हो रही हैं, उन्हें भारतीय समाज विशिष्टत: बौद्धिक वर्ग, उसमें भी युवा पीढ़ी अत्यन्त विवेकपूर्ण ढंग से त्याग करती हुई दिखायी पड़ रही है फिर अनुसूचित जातीय समाज, जिसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक धार्मिक प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन, सरल शब्दों में सुधार करने के लिए न केवल स्वयं अनुसूचित जातियां प्रत्युत सरकारी व गैरसरकारी संस्थाएं एक दीर्घकाल से चेष्टारत हैं, आसपास के परिवर्तित सामाजिक पर्यावरण व सामाजिक परिवेश से अथवा आधुनिक प्रवृत्तियों से अवश्यमेव प्रभावित होगा जो उनकी विकासोत्थान की न केवल प्रथम मांग हैं अपितु उनमें हुए सुधार की पहचान भी है। अतएवं इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अध्येता के लिए प्राक्कल्पना को निर्मित करना अत्यन्त स्वाभाविक

व आवश्यक हो गया कि ''अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के विचार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बहुत अधिक प्रभावित हैं जिसकी प्रमाणिकता उनके कतिपय विचारों से सिद्ध हो जाती हैं यथा – अधिकांश (83.45 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सहशिक्षा के औचित्य को स्वीकार किया है। विपुलांश सूचनादाता (89.78 प्रतिशत) व्यवसायिक शिक्षा की ओर अभिमुखीकृत प्रतीत होते हैं। 89.53 प्रतिशत ने प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम को सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल बताया हैं। स्त्री -शिक्षा के सम्बंध में अधिकांश सूचनादाता (64.71प्रतिशत) युवतियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक शिक्षा दिलवाने के पक्षधर हैं। युवतियों ने स्नातक से कम शिक्षा की तो संकल्पना ही नहीं की है। 79.54 प्रतिशत युवतियां परास्नातक स्तर तक शिक्षा की पक्षधर हैं। विद्यार्थियों की राजनैतिक सहभागिकता के लिए अधिकांश सूचनादाताओं (58.58 प्रतिशत) ने स्वीकृति दी है। अधिकांशत: माता-पिता की शैक्षिक प्रत्याशाएं उच्च हैं अर्थात वे स्नातक, परास्नातक तथा इससे भी उच्च शिक्षा प्रिशक्षण दिलाना चाहते हैं। सूचनादाताओं की स्वयं की शैक्षिक प्रत्याशाएं अपेक्षाकृत और भी अधिक उच्च हैं, वे स्नातक से कम शिक्षा ग्रहण करने की तो आशा ही नहीं रखते।

पारिवारिक व्यवस्था के सम्बंध में विचार करने से स्पष्ट होता है कि मात्र 9.43 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार वर्तमान समय में एकाकी है किन्तु एकाकी परिवार की प्रत्याशा करने वाले युवाओं की संख्या 40.14 प्रतिशत है। अत: वे आधुनिक समय में प्रचलित एकाकी परिवार व्यवस्था की ओर अग्रसर है। अधिकांश सूचनादाताओं ने समान शिक्षित वर तथा वधू की प्रत्याशा की है। जीवनसाथी के चयन में अधिकांश सूचनादाताओं ने (78.34 प्रतिशत) अर्न्तजातीय विवाह को तथा 76.64 प्रतिशत ने प्रेम-विवाह को उपयुक्त माना है। अधिकांश सूचनादाताओं (73.47 प्रतिशत) के मित्र सवर्ण हिन्दू हैं तथा अधिकांश मित्रों के चयन में उनकें चरित्र तथा व्यक्तित्व को वरियता देते हैं। अधिकांश पैतृक व्यवसाय नहीं करना चाहते अपितु अवसर का लाभ उठाकर 52.55 प्रतिशत आरक्षित व्यवसाय तथा 31.87 प्रतिशत अन्य व्यवसाय करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांश सूचनादाता व्यक्तिगत व्यवसायों में आरक्षण के इच्छुक हैं। विपुलांश सूचनादाताओं ने राजनीति में भाग लेने को उपयुक्त माना है। लोकतन्त्र का 89.05 प्रतिशत ने समर्थन किया है। अधिकांश 76.39 प्रतिशत ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का समर्थन किया है। अधिकांश सूचनादाता धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हैं। उन्होंने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण कर्म या प्रयत्न और धन बताया है। अधिकांश युवाओं ने धर्म परिवर्तन के पक्ष में राय अभिव्यक्त की है। पति-पत्नि के बीच अधिकांश (83.94 प्रतिशत) युवाएँ समानता के सम्बंधों के पक्षपाती हैं। अधिकांश छात्र (79.89 प्रतिशत) तथा छात्राओं (69.31 प्रतिशत) ने पुरूषों के समान ही महिलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकने को स्वीकार किया है। 94.69 प्रतिशत सूचनादाता पारिवारिक निर्णयों में स्त्रियों की राय को महत्व देने के पक्ष में हैं। अधिकांश (90.02 प्रतिशत) युवाएँ दहेज प्रथा के विरोधी हैं। विवाह के समय वर – वधू की दृष्टि से वे बाल विवाह के विरोधी हैं। सूचनादाताओं द्वारा प्रत्याशित संतानों की औसत संख्या 2.41 हैं जो सीमित परिवार के प्रति उनकी रूचि को प्रकट करती हैं। बहुलांश (92.70 प्रतिशत) युवाओं ने परित्यक्ता व विधवा-पुर्नविवाह के औचित्य को स्वीकार किया है। विपुलांश सूचनादाताओं ने संस्कृतिकरण का समर्थन किया है। 80.77 प्रतिशत युवाओं ने समाजवाद को उपयुक्त एवं आवश्यक माना है। अधिकांश (95.13 प्रतिशत) ने लौकिकीकरण का समर्थन कर धर्म-सहिष्णुता का परिचय दिया है। ये समस्त तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि अनुसूचित जातीय युवाएँ आधुनिकता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है।

अन्ततः यह निष्कर्ष स्पष्टतः प्रतिपादित होता है कि अनुसूचित जातीय युवाएँ अर्थात युवा पीढ़ी के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचार, आदर्श एवं मूल्य तीव्रता से परिवर्तनोन्मुख हैं तथा विविध क्षेत्रों में आधुनिकता से ओत-प्रोत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जीवन प्रतिमान में बढ़ती हुई गतिशीलता भविष्य में उनके विकास और प्रगति की तथा समानता पर आधारित भावी समाज की नवीन आशाएं प्रदान करती हैं।